



234



समस्त गान्धीय राजस्व मण्डलमध्य प्रदेश राजधानी

प्रकरण क्रमांक - /2012 निगरानी

R 3259 II/12

24/9/12

महेश्वर अम्बिका

206-ए-22
जिला न्यायालय
24-9-12

1. अरवि सिंह पुत्र राजदास लोधी निवासी ग्राम कानिया करतपुर तहसील पिछोर जिला सिद्धपुरी डी.प्र.
2. विजयकुमार, उरासि, पुष्पेन्द्र लाल निवासी पुत्र अरवि सिंह लोधी निवासी ग्राम कानिया करतपुर तहसील पिछोर जिला सिद्धपुरी डी.प्र.
3. लीलावती पत्नी अरवि सिंह लोधी निवासी ग्राम कानिया करतपुर तहसील पिछोर जिला सिद्धपुरी डी.प्र.
4. कल्पिता पत्नी कलसिंह लोधी
5. आशा पत्नी अनूप सिंह लोधी
6. छिनन पत्नी राजदास लोधी निवासी ग्राम दुर्गापुर डी.प्र. तहसील पिछोर जिला सिद्धपुरी डी.प्र.

वनाम

1. गुड्डीबाई पुत्री राजदास लोधी निवासी नयागाँव
2. छिनन पुत्री राजदास लोधी, निवासी हाथिया डी.प्र. तहसील पिछोर जिला सिद्धपुरी डी.प्र.


निगरानी अंतर्गत धारा 50(क) के नये संशोधनानुसार म.प्र. राजस्व संहिता 1959 विच्छेद आदेश दिनांक 05.09.2012 प्रकरण क्रमांक 81/2012 अपील गुड्डीबाई बनाम अरवि सिंह आदि के निर्णय से जुड़ी होकर ।

(Handwritten signature)



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एव अतिमाफी आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 81/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 5/09/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3


(आर०के० जैन) 8/5/19
सदस्य